[2012] 11 एस. सी. आर 360

अनूप सरमाह

बनाम

भोला नाथ शर्मा और अन्य।

(2009 की विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) सं.- 8907)

30 अक्टूबर, 2012

[डॉ. बी.एस. चौहान और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, न्यायमूर्तिगण]

किराया-खरीद-याचिकाकर्ता द्वारा किराए खरीद के आधार पर खरीदा गया वाहन-याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत कि प्रतिवादी-वित्तदाता ने उक्त वाहन को जबरन हिरासत में ले लिया था-न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही-उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण में रद्द कर दिया गया-औचित्य-अभिनिर्धारित किया गयाः किराया खरीद के समझौते में, खरीदार वित्तदाता/वित्तीय संस्थान की ओर से केवल एक न्यासी/जमानतदार रहता है और स्वामित्ववाद वाले के पास रहता है-इस प्रकार, यदि वाहन वित्तदाता द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि वह अपने स्वामित्व वाले सामान को फिर से रखता है।

त्रिलोक सिंह और अन्य **बनाम सत्यदेव त्रिपाठी ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 850:1979 (4) एससीसी 396;** *के. ए. मथाई उर्फ बाबू और अन्य* **बनाम** *कोरा बिबबिकुट्टी और अन्य* **(1996) 7 एस. सी. सी. 212 और** *चरणजीतसिंह चड्ढा और अन्य* **बनाम सुधीर मेहरा (2001) 7 एस.सी.सी. 417 पर आधारित।**

मेसर्स दामोदर बैली निगम **बनाम** *बिहार राज्य* **ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 440:1961 एससीआर 522;** *(निजी) लिमिटेड और अन्य* **बनाम** *भारत संघ और अन्य* **ए.आई.आर. 1962 एससी 53:1962 एससीआर 644;** *के. एल. जौहर एंड कंपनी* **बनाम** *उप डिप्टी वाणिज्य कर अधिकारी, कोयम्बटोर III* **ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1082:1965 एस. सी. आर. 112 और** *सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड* **बनाम** *केरल राज्य और अन्य* **ए.आई.आर. 1966 एस. सी. 1178:1966 एस. सी. आर. 828 को संदर्भित किया।**

केस कानून संदर्भ:

1974 (4) एससीआर 396	भरोसा किया गया	पैरा 5
(1996) 7 एससीसी 212	भरोसा किया गया	पैरा 6
(2001) 7 एससीसी 417	भरोसा किया गया	पैरा 7
1961 एससीआर 522	उल्लिखित	पैरा 7
1962 एससीआर 644	संदर्भित	पैरा 7
1965 एससीआर 112	संदर्भित	पैरा 7
1966 एससीआर 644	संदर्भित	पैरा 7

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः विशेष अनुमति (आप.) सं.- 2009 का 8907

गौहाटी उच्च न्यायालय, गौहाटी के 22.06.2009 के आपराधिक पुनरीक्षण सं.- 2009 की 156 में पारित निर्णय एवं आदेश से,

गोपाल सिंह, ऋतुराज विश्वास, सुजया बर्धन-अपीलकर्ताओं के लिए।

नरेश कौशिक, संजीव कुमार भारद्वाज, विव्या नागपाल, ललिता कौशिक-प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया था।

आदेश

1. यह याचिका गौहाटी में असम के उच्च न्यायालय द्वारा 2009 के आपराधिक संशोधन सं- 156 में याचिकाकर्ता के मामले को खारिज करने वाले आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 22.06.2009 के खिलाफ दायर की गई है। उत्तरदाताओं ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा भाड़ा क्रय पर खरीदे गए वाहन की कस्टडी उनसे जबरन ले ली। अदालत ने उत्तरदाताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के आपराधिक पुनरीक्षण सं. 156/2009 मामले में उत्तरदाताओं के खिलाफ कहा गया है कि प्रतिवादी-वित्तदाता ने उनके द्वारा वित्तपोषित वाहन को जबरनहीन लिया था और याचिकाकर्ता को उसके वैध कब्जे से अवैध रूप से वंचित कर दिया था और इस प्रकार, एक अपराध किया। याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत मामला सं.- 608/2009 में दायर एक शिकायत पर न्यायिक दण्डाधिकारी (प्रथम श्रेणी), गुवाहाटी (असम) द्वारा विचार किया गया था। यहां तक कि वाहन (मारुति ज़ेन) की अंतरिम अभिरक्षा याचिकाकर्ता को दिनांक 17.03.2009 के आदेश द्वारा देने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय ने विद्वान दण्डाधिकारी के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को गलत ठहराया है।

3. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील पक्ष ने प्रस्तुत किया है कि किराया-खरीद समझौते के तहत, जब तक पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक वित्तदाता वाहन का मालिक रहता है और इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा किश्तों का भुगतान न करने के लिए वित्तदाता द्वारा किया गया कब्जा अपराध नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार

उच्च न्यायालय ने उचित रूप से कार्यवाही को रद्द कर दिया है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

5. *त्रिलोक सिंह और अन्य बनाम सत्य देव त्रिपाठी,* ए. आई. आर. 1979 में एस. सी. 850 में, इस न्यायालय ने इसी तरह के मामले की जांच की जिसमें ट्रक को किराया खरीद समझौते के संदर्भ में वित्तदाता द्वारा कब्जे में ले लिया गया था, क्योंकि किस्त का भुगतान करने में चूक की गई थी। आई.पी.सी. की धारा 395,468,465,471,12 बी/34 के तहत वित्तदाता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने धारा 482, Cr.P.C के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और इस आधार पर कार्यवाही को रद्द नही किया कि वित्तपोषक ने एक अपराध किया था। हालांकि, उक्त निर्णय को उलटते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शुरू की गई कार्यवाही स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी। इसमें शामिल विवाद विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति की थी, भले ही शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप काफी हद तक सही हो। किराया-खरीद समझौते के तहत वित्तदाता ने बही राशि का भुगतान किया था और वह वास्तव में वाहन का मालिक था। समझौते में निहित नियम और शर्तों ने विवाद के मामले में केवल नागरिक अधिकारों को जन्म दिया और ऐसे मामले में दीवानी न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि उन नियमों और शर्तों का क्या अर्थ था।

6. *के. ए. मथाई उर्फ बाबू और अन्य बनाम वी कारो बिब्बिकुट्टी और अन्य,* (1996) 7 एस. सी. सी. 212 में, इस न्यायालय ने एक समान दृष्टिकोण रखते हुए अभिनिर्धारित किया कि किश्तों का भुगतान करने में चूक के मामले में **वित्तपोषक को कब्जा फिर से शुरू करने का अधिकार था, भले ही किराया खरीद समझौता न हो इस कारण से कब्जे को फिर**

से शुरू करने का खंड शामिल है की ऐसे शर्त को समझौते में पढा जाना है। ऐसी स्थिति में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वित्तदाता ने चोरी का अपराध किया था और वह भी, अपेक्षित मनःस्थिति और आवश्यक बेईमानी के साथ, किराया खरीद समझौते के तहत पक्षों को प्राप्त अधिकारों और दायित्वों के दावे उस संबंध में किसी भी बेईमान ढोंग को मिटा देते हैं जिससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वित्तदाता ने दोषी इरादे से वाहन के कब्जे को फिर से शुरू कर दिया था।

7. *चरणजीत सिंह चड्ढा और अन्य बनाम सुधीर मेहरा में,* (2001) 7 एस. सी. सी. 417, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किराया खरीद समझौते की शर्तों के अनुसार वित्तदाता-मालिक द्वारा वाहन के कब्जे की वसूली, एक आपराधिक अपराध के बराबर नहीं है, ऐसा समझौता बिक्री का एक निष्पादक अनुबंध है जो किराएदार को तब तक कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है जब तक कि उसे संपत्ति का हस्तांतरण पूरा नहीं हो जाता है और यदि किरायेदार द्वारा डिफॉल्ट की जाती है और वाहन का कब्जा वित्तदाता द्वारा फिर से शुरू किया जाता है, तो यह किसी भी अपराध का गठन नहीं करता है क्योंकि इस तरह के मामले/विवाद को समझौते में शामिल शर्तो के आधार पर हल किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने किराया खरीद समझौते की प्रकृति पर विस्तार से विचार करते हुए कहा कि केवल किराये के अनुबंध में, जमानत का एक तत्व और बिक्री का तत्व इस अर्थ में शामिल है। न्यायालय ने किराया खरीद समझौते की प्रकृति पर विस्तार से विचार करते हुए कहा कि केवल किराये के अनुबंध के मामले में, जमानत का अनुबंध है जो जमानतदार में कोई शीर्षक नही बनाते है। हालांकि, पार्टियों के बीच बनाए गए समझौते के नियमों और शर्तो में भिन्नता हो सकती है और पार्टियों के अधिकारों को उक्त समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे अनुबंध में जमानत का एक तत्व और बिक्री का तत्व इस अर्थ में शामिल है कि अंतिम बिक्री पर विचार करता है। बिक्री का तत्व तब फलित होता है जब समझौते की शर्ते पूरी हो जाती है और विकल्प का प्रयोग किया जाता है।

तो उस सामान की बिक्री होती है जो किराए पर लिया गया था। उक्त मामले का निर्णय करते समय इस न्यायालय ने *मेसर्स दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाम बिहार राज्य* ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 440 *इंस्टालमेंट सप्लाई (प्राइवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य* ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 53; *के. एल. जौहर एंड कंपनी बनाम उप वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोयम्बटोर III,* ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1082; और *सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम केरल राज्य और अन्य,* आई. आर. 1966 एस. सी. 1178 के मामले में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा रखा।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कानून को संक्षेप में कहा जा सकता है कि किराया खरीद के समझौते में, खरीदार केवल वित्तदाता/वित्तीय संस्थान की ओर से एक न्यासी/जमानतदार रहता है और स्वामित्व बाद वाले के पास रहता है। इस प्रकार, यदि वाहन वित्तदाता द्वारा जब्त कर लिया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि वह अपने स्वामित्व वाले सामान को फिर से रखता है।

9. यदि मामले की जांच उपरोक्त तय किए गए कानूनी प्रस्ताव के आलोक में की जाती है, तो हमें आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं दिखता हैं। याचिका में योग्यता का अभाव है और तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है।

बी.बी.बी एसएलपी खारिज कर दी गई।

खुशबू कुमारी